न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2513–तीन/14 विरूद्ध आदेश, दिनाक 23–6–13 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 72/अ–12/12–13

1 थोबन बुनकर तनय स्व0 हल्का बुनकर
2 जल्लू बुनकर तनय स्व0 हल्का बुनकर
3 रमेश बुनकर तनय नथुआ बुनकर
4 बीरन बुनकर तनय नथुआ बुनकर
5 राजेन्द्र कुमार उर्फ रानी ब्राहम्ण पुत्र नाथूराम
उपरोक्त समस्त निवासीयान ग्राम मजना तहसील व जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

निगराकारगण

विरूद्ध

1 नरेन्द्र जैन पुत्र श्री डालचन्द्र जैन
2 शैलेन्द्र जैन पुत्र डालचन्द्र जैन
निवासीयान ग्राम मजना तहसील व जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

गैर निगराकारगण

श्री जी0 पी0 नायक, अभिभाषक,निगराकारगण
श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक, गैर निगराकारगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 02/02/2016 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 2513–तीन/14 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व

निरीक्षक मण्डल टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 72/अ–12/12–13 में पारित आदेश दिनांक 23–6–13 के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ है।

2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । गैर निगराकारगण के आवेदन पर उनकी भूमि सर्वे नंबर 380/2, 380/7, 148, 149/1, 150/1, 151/4, 155 ग्राम मजना खास के सीमांकन की दिनांक 23–6–13 के आक्षेपित आदेश से पुष्टि हुई । इस आदेश में यह लिखा गया कि सीमांकन के दौरान कोई आपत्ती नहीं आई, तथा आगे विभिन्न आवेदित सर्वे नम्बरों के अंश भागों पर निगराकारगण का कब्जा होना लिख दिया गया, जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में यह निगरानी प्रस्तुत हुई ।

3/ मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने । निगराकारगण के अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों को दोहराते हुए कि उनको बगैर सूचना एवं पक्ष समर्थन का अवसर दिए उनके द्वारा अवैध कब्जा किया जाना बता दिया गया है, जो कि अनुचित है । गैर निगराकारगण के अधिवक्ता ने तर्क किया कि पंचनामें में यह लिखा है कि मौके की कार्यवाही सरहदी कृषकों एवं ग्राम पंचान के समक्ष हुई, तथा यह कि सीमांकन की प्रकिया त्रुटिहीन रही है, ऐसे में सीमांकन पुष्टि आदेश यथावत रखा जाना चाहिए । निगराकार अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर में तर्क किया कि सूचना पत्र एवं पंचनामें में उनके हस्ताक्षर नहीं है और यह भी नहीं लिखा है कि उन्होंने सूचना या उपस्थिति के बावजूद हस्ताक्षर करने से इंकार किया, तथा किसी नक्शे में भी कथित अवैध कब्जे को नहीं दर्शाया गया है, ऐसे में उनके दावों को मान्य किया जाकर निगरानी स्वीकृत की जानी चाहिए और आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाना चाहिए ।

4/ विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के प्रकाश में मैंने अभिलेख का बारीकी से अध्ययन किया । इसके फलस्वरूप मैं प्रकरण में निम्न बिन्दु प्रमुखता से टीप योग्य पाता हूँ:–

(1) गैर निगराकारगण द्वारा दिए गए सीमांकन आवेदन में धारा 129 के अंतर्गत वर्ष 1960 में बनाए गए नियमों के अनुसार लगे हुए (सरहदी/सीमावर्ती) सर्वे नम्बरों/उपखण्डों का विवरण नहीं दिया गंया ।

(2) तहसील के प्रकरण में सूचना पत्र दिनांक 20–6–13 संलग्न है, उसमें निगराकारगण के नाम लिखे हैं, किन्तु उस पर केवल सीमांकन के आवेदक गैर निगराकारगण के हस्ताक्षर हैं और निगराकारगण को सूचना तामीली का कोई प्रमाण या हस्ताक्षर वगैरह नहीं है ।

(3) सूचना पत्र में हांलाकि निगराकारगण के नाम लिखे हैं, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में यह कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनके नाम वहॉ क्यों लिखे गए हैं । यदि उन्हैं सरहदी कृषक मानते हुए उनके नाम लिखे गए हैं, तो ऐसा किस प्रकार किया गया है, यानि उनका सरहदी कृषक होना किस प्रकार देखा गया है, या देखा भी गया है या नहीं, इसका खुलासा कहीं नहीं है ।

(4) किसी नक्शे पर बताए गए अवैध कब्जे को नहीं दर्शाया गया है ।

(5) सूचना पत्र एवं पंचनामें में यह नहीं लिखा है कि निगराकारगण ने सूचना या उपस्थिति के बावजूद हस्ताक्षर नहीं किए ।

(6) पंचनामें में गैर निगराकारगण को धारा 250 के अंतर्गत अवैध कब्जा हटाए जाने की समझाइश दिए जाने का तो लेख है, किन्तु पूरे प्रकरण में निगराकारगण द्वारा कोई आपत्ती की जाने का या उसके निराकरण का कोई हवाला नहीं है, जबकि निगराकारगण ने राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरूद्ध बाद में राजस्व मण्डल में यह निगरानी प्रस्तुत की है ।

5/ उपरोक्त बिन्दुओं के प्रकाश में सर्वप्रथम तो मेरा यह निष्कर्ष है कि विषयांकित सीमांकन के प्रकरण में निगराकारगण को सूचना नहीं दी गई, सीमांकन उनकी

उपस्थिति में नहीं हुआ, और उन्हें उनके विरूद्ध बताए जा रहे अवैध कब्जे के संबंध में अपना पक्ष रखने का सीमाकंन प्रकरण में कोई अवसर नहीं मिला ।

दूसरा, यह कि सीमांकन के आवेदक गैर निगराकारगण द्वारा सीमांकन आवेदन में सरहदी सर्वे नम्बरों/बटांकों का कोई विवरण, नियमों के अनुसार आवश्यक होने के बावजूद नहीं दिये जाने के बिन्दु पर राजस्व निरीक्षक ने कोई गौर नहीं किया । राजस्व निरीक्षक ने उनसे सरहदी भूमियों के विवरण लेने का कोई प्रयास भी नहीं किया । ना ही उन्होंने (राजस्व निरीक्षक ने) अपनी ओर से कोई स्पष्ट अभिलेखीय कार्यवाही सरहदी भूखण्डों एवं उनके भूधारकों के विवरण ज्ञात करने के लिये की एवं/अथवा ऐसी कार्यवाही को प्रकरण की नस्ती पर अभिलिखित किया ।

तीसरे, निगराकारगण का अवैध कब्जा निर्धारित करने के पूर्व राजस्व निसीक्षक ने रिकार्ड में यह स्पष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी कि उन्होंने निगराकारगण को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के पालन में, उनके विरूद्ध कोई विनिर्णय लेने के पूर्व, उन्हें सूचना एवं पक्ष समर्थन का अवसर कैसे दिया है । उन्होंने केवल यह लिख दिया कि कोई आपत्ती प्राप्त नहीं हुई, और यह कि सरहदी कृषक एवं ग्राम पंचान उपस्थित थे, जो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि (क) जिन व्यक्तियों (निगराकारगण) द्वारा अवैध कब्जा किया गया होना बताया जा रहा था, उनके नाम से सूचना और उपस्थिति बाबत स्पष्ट लेख राजस्व निरीक्षक को करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया, और (ख) यदि निगराकारगण को आपत्ती नहीं होती तो वे राजस्व मण्डल में निगरानी दायर नहीं करते । इससे स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक ने उनके प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों और विधि का समुचित पालन नहीं किया ।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में मैं राजस्व निरीक्षक द्वारा विधि एवं नियमों की अनदेखी करते हुए, तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित, प्रकरण में कार्यवाही की गई होना पाता हूँ । यह राजस्व निरीक्षक की लापरवाही तथा विधि के प्रावधानों

और सिद्धांतों एवं नियमों के समुचित ज्ञान के अभाव का द्योतक है, जिससे न्यायिक वाद अनावश्यक बढ़ा है, अतः जिसकी मैं निन्दा करता हूँ तथा अपेक्षा करता हूँ कि ऐसी कार्यवाही की पुनरावृत्ति नहीं होगी ।

इसके साथ ही आक्षेपित आदेश दिनांक 23–6–13 निरस्त करते हुए यह निगरानी स्वीकार करता हूँ ।

आदेश पारित ।
पक्षकार एवं संबंधित अधिकारी संभागायुक्त एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से सूचित हों ।
रिकार्ड वापस हो ।
प्रकरण समाप्त ।
प्रकरण दा0द0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर